

समाहरणालय, सिवान

(जिला विकास शाखा)

—:विज्ञापित:—


सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं अवास विभाग बिहार पटना का पत्रांक 179 दिनांक 17.07.2017 के आलोक में जिला सिवान के शहरी क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास एवं मुख्यमंत्री निश्चय योजना अन्तर्गत क्रियान्वित कराए जा रहे विभिन्न योजनाओं के गुणवत्ता एवं प्रगति के स्वतंत्र निगरानी हेतु सिवान जिला में सेवानिवृत्त प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों का एक जिला स्तरीय गुणवत्ता समन्वयक का गठन किया जाना है। इस हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
आवेदन हेतु प्रात्रता:—

- (i) District Quality Monitor/DQM में सूचीबद्ध होने के पात्र केवल वही प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी होंगे जो न्यूनतम अपर समाहर्ता एवं कार्यपालक अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए हों।
- (ii) DQM का चयन 2 वर्ष के सूचीबद्धता के आधार पर किया जाएगा। उनके द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। सेवा संतोषप्रद रहने पर उनकी सेवा विस्तार अगले एक वर्ष के लिए किया जाएगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने की दशा में किसी भी समय उनकी सूचीबद्धता रद्द की जा सकेगी।
- (iii) DQM को प्रतिदिन (जिस दिन भ्रमण एवं जाँच जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार की जाती है) 1500/- (एक हजार पाँच सौ) रुपया मानदेय देय होगा। साथ ही प्रतिवेदन तैयार करने हेतु 3000/- (तीन हजार) रुपया अलग से दिया जाएगा।
- (iv) सिवान जिले के निवासी पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (v) 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त पदाधिकारी ही सूचीबद्ध होने योग्य होंगे।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार इच्छुक पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, समाहरणालय, सिवान के पते पर दिनांक 14.05.2018 अपराह्न 03:00 बजे तक विहित प्रपत्र में आवेदन निबंधित डाक/हाथो-हाथ दे सकते हैं। विशेष जानकारी जिला के वेबसाइट www.siwan.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त पदाधिकारी का पूरा नाम:—
2. सेवानिवृत्त पदाधिकारी के पिता का नाम:—
3. जन्म तिथि
4. स्थाई पता:—
5. पत्राचार का पता:—
6. सेवानिवृत्त कार्यालय का नाम एवं पदनाम
7. सेवानिवृत्त की तिथि




8. मैं.....अभिप्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरणी पूर्णतः सही है।
9. आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि आपके विरुद्ध किसी तरह का विभागीय कार्यवाही, निगरानी विभाग में लंबित मामला या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार से संबंधित कार्यवाही संचालित नहीं है और न ही कोई मामला लंबित है।

नोट:—1. उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक कागजात की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाय।

2. चयन समिति द्वारा लिये जाने वाले निर्णय अंतिम होगा, साथ ही विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

सेवानिवृत्त पदाधिकारी का

हस्ताक्षर


21/5/18
जिला पदाधिकारी,
सिवान।